संख्या-96/2026/I/1269921/2026/23-6099/83/2026

प्रेषक,

सुबास राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत (ग्रामीण) के अयोध्या क्षेत्र के कुल 23 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग), उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के कॉलम-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अयोध्या क्षेत्र के कुल 23 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल रू0 3265.77 लाख (रूपये बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख सतहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0-57 से रू0 514.59 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 138.55 लाख अर्थात कुल रू0 653.14 लाख (रूपये छः करोड़ तिरेपन लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	मुख्य अभियन्ता सेतु विंग का पत्रांक	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन			कार्यदायी संस्था
					अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	465484/2026 Dt-13.02.26	अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकरनगर में एनवां-भड़सारी-केदारनगर-सद्दरपुर मार्ग के कि0मी0-21 में स्थित सकरी पुलिया के स्थान पर 3x3.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया एवं पहुच मार्ग का निर्माण कार्य।	115.89	18.26	4.92	23.18	लो0नि0वि0
2	461043/2026 Dt.-11.02.26	अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकरनगर में ग्रामसभा प्यारेपुर भसड़ा सम्पर्क मार्ग के नाले पर पुल निर्माण कार्य	51.72	8.15	2.19	10.34	लो0नि0वि0
3	461076/2026 Dt-11.02.26	अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकरनगर में बसखारी जहांगीर राजेसुल्तानपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-6 में प्रमुख नहर पर पूर्व से निर्मित क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर (3x4x3 मी0) बाक्स सेल कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	106.85	16.84	4.53	21.37	लो0नि0वि0
4	461080/2026 Dt-11.02.26	अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकरनगर में बाहापुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-1 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1×6.00 मी0 बाक्स क्ल्वर्ट का निर्माण कार्य	55.81	8.79	2.37	11.16	लो0नि0वि0
5	461067/2026 Dt.-11.02.26	अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकरनगर में संजरपुर डिहदीपुर से खानूपुर को जोड़ने हेतु अनउवा नाले पर 2x5x3 मी0 आर0सी0सी0 बाक्स कलवर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	123.18	19.41	5.23	24.64	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	461088/2026 Dt.-11.02.26	अमेठी	जनपद अमेठी में महाराजगंज इन्हौना मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-26 पर बनी नैयाताल पर बनी सकरी पुलिया के स्थान पर 1X6 मी0 स्पान के नये लघु सेतु का निर्माण कार्य।	110.02	17.33	4.67	22.00	लो0नि0वि0
7	461106/2026 Dt.-11.02.26	अमेठी	जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राज्य मार्ग रायबरेली सुलतानपुर काजीपट्टी मार्ग से दुर्गन भवानी होते हुए मनीपुर चौराहे मार्ग के किमी0 9 में क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 2x4 मी0 स्पान का लघु सेतु के निर्माण का कार्य	120.15	18.93	5.10	24.03	लो0नि0वि0
8	458665/2026 Dt-10.02.26	अयोध्या	जनपद अयोध्या में मवई चौराहा से उमापुर,दुल्लापुर, हरिहरपुर होते हुए मां कामाख्या भवानी मंदिर तक मार्ग के कि0मी0 07 में छोटी नहर पर स्थित जर्जर लघु सेतु के स्थान पर 3x2x2 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 लघु सेतु का नवनिर्माण का कार्य।	110.75	17.45	4.70	22.15	लो0नि0वि0
9	458642/2026 Dt-10.02.26	अयोध्या	जनपद अयोध्या में सारंगापुर के पास शारदा सहायक नहर महोली बड़गांव ड्योढ़ी मार्ग पर 3×8.30 मी0 स्पान के लघु सेतु के निर्माण कार्य।	297.40	46.86	12.62	59.48	लो0नि0वि0
10	465479/2026 Dt -13.02.26	अयोध्या	जनपद अयोध्या में तुलसी तारा अलावलपुर के मध्य सुगर मिल गन्दा नाला पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1 गुणे 6.00 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 पुल (लघु सेतु), पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पुहंच मार्ग का निर्माण कार्य।	78.46	12.36	3.33	15.69	लो0नि0वि0
11	461051/2026 Dt.-11.02.26	अयोध्या	जनपद अयोध्या में गोशाईगंज दिलासीगंज मार्ग पर समदा के पास शारदा सहायक नहर (बड़ी नहर) पर 3 गुणे 8 मीटर स्पान की लघु सेतु का निर्माण कार्य।	340.41	53.64	14.44	68.08	लो0नि0वि0
12	461019/2026 Dt.-11.02.26	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज में जलालपुर से सरदार बंगला वाया धनवलिया मार्ग पर लघु सेतु का निर्माण कार्य, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	487.13	76.77	20.66	97.43	लो0नि0वि0
13	461709/2026 Dt-11.02.26	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में मरकामऊ चौकाघाट मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-2 में स्थित क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 5x5x4 मी0 आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	313.80	49.45	13.31	62.76	लो0नि0वि0
14	458631/2026 Dt.-10.02.26	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी में ज्योली शहाबपुर जहांगीराबाद मार्ग से बाराबंकी देवां फतेहपुर मार्ग वाया कनौजिया मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-04 में आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	169.81	26.76	7.20	33.96	लो0नि0वि0
15	461041/2026 Dt-11.02.26	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड हरख के अन्तर्गत सराय सिकन्दरपुर सम्पर्क मार्ग के बरसाती नाला पर 3x5 मी0 स्पान के आर0 सी0 सी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	92.65	14.60	3.93	18.53	लो0नि0वि0
16	461026/2026 Dt-11.02.26	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड सिद्दौर के अन्तर्गत पूरब बेलाव मार्ग से मसारा मार्ग के मध्य नाले पर 3x3x3 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	107.44	16.93	4.56	21.49	लो0नि0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17	458651/2026 Dt-10.02.26	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में बीबीगंज पंचायत भवन से हसनपुर शिव मन्दिर सम्पर्क मार्ग पर पूर्व निर्मित संकरे क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 3X3X4 मीटर के आर0सी0सी0 बाक्स कलर्वट का निर्माण कार्य।	83.47	13.15	3.54	16.69	लो0नि0वि0
18	461060/2026 Dt-11.02.26	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में सुल्तानपुर-कुडवार-हलियापुर-फतेपुर मार्ग (प्र०जि०मा०) एवं पैगापट्टी से खेतहरा सम्पर्क मार्ग के मध्य गभड़िया नाले पर 5X5X5 मी0 स्पान आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट का लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	186.16	29.33	7.90	37.23	लो0नि0वि0
19	458664/2026 Dt-10.02.26	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में टिहसा सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-3 में रेदहवा नाला पर पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 3X3X3 मीटर के आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	65.15	10.27	2.76	13.03	लो0नि0वि0
20	458646/2026 Dt-10.02.26	अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकरनगर में पिण्डोरिया सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-1 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1×6.00 मी0 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	55.81	8.79	2.37	11.16	लो0नि0वि0
21	461084/2026 Dt-11.02.26	अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकरनगर में बसखारी मैंदीघाट मार्ग कि0मी0-11 से हीरा पब्लिक स्कूल मैनूखान का पुरवा सम्पर्क मार्ग पर स्थित पुरानी क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नई 2x3x3 मी0 स्पॉन की आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	66.46	10.47	2.82	13.29	लो0नि0वि0
22	458636/2026 Dt-10.02.26	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में लक्षबर बजहा करपिया नेवला मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-1 क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2x3x3 मी0 स्पान के बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	35.36	5.57	1.50	7.07	लो0नि0वि0
23	465476/2026 Dt-13.02.26	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में कुडवार हलियापुर फत्तेपुर प्रमुख जिला मार्ग के किमी0 11 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1x6.00 मी0 स्पान के लघु सेतु का निर्माण कार्य।	91.89	14.48	3.90	18.38	लो0नि0वि0
			कुल योग	**3265.77**	**514.59**	**138.55**	**653.14**	

नियम शर्ते/प्रतिबन्धों

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- प्रायोजनान्तर्गत विभाग द्वारा सर्वप्रथम भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण किया जाये तदोपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

3- प्रयोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

6- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

7- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

8- व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

9- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

10- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई,2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

11- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कन्टीजेन्सी मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।

12- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

13- प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

14- लोक निर्माण विभाग द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य मद के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के विभाग के मुख्य अभियन्ता स्तर से अनुमोदित एवं परीक्षित भी हो। उक्त के आधार पर ही यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्य मदों में धनराशि अनुमन्य की जायेगी।

15- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

16- यह सुनिश्चत किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अन्तर्गत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि पक्के स्ट्रक्चर्स यथा पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादित का निर्माण आई0आर0सी0/विभागीय मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

18- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित पुल/पुलियों का इक्सटेंशन-तथा-नाला-नाली आदि का निर्माण का निर्माण का प्राविधान किया गया है। भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण की सम्भावना के दृष्टिगत मार्ग के संरेखण में आने वाले पक्के स्ट्रक्चर (पुल/पुलिया/नाली इत्यादि) का निर्माण आई0आर0सी0/विभागीय मानकों में पूर्व निर्धारित फारमेशन विड्थ (चौड़ाई) के अनुसार ही कराया जाय।

19- परियोजना को निश्चित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

20- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

21- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत का आंकलन किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

22- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

23- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

24- परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

25- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

26- परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

27- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

28- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

29- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

30- उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (सेतु) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 5,14,59,000 (रुपये पाँच करोड़ चौदह लाख उनसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,38,55,000 (रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख पचपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-1039-X-2025-26, दिनांक 10-03-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबास राम)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मण्डलायुक्त सम्बन्धित मण्डल/ जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित क्षेत्र।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- संबंधित कोषाधिकारी ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- बजट आवंटन अधिकारी/नोडल अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।